

राजस्थान-सरकार
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय-आदेश

श्री वहिदुल हक, व्याख्याता- उर्दू, पदस्थापन स्थान- महाराणा राउमावि. जहाजपुर, जिला- भीलवाड़ा जन्मतिथि: 15.01.1968 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि: 11.04.1996 है।


श्री वहिदुल हक, व्याख्याता- उर्दू, पदस्थापन स्थान- महाराणा राउमावि. जहाजपुर, जिला- भीलवाड़ा द्वारा राजस्थान सेवा नियम 50(1) के प्रावधानानुसार कार्मिक 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएँ तथा 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करने के उपरान्त प्राप्त प्रार्थना पर राजस्थान सेवा नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक - 31.07.2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित वहिदुल हक, व्याख्याता उर्दू, महाराणा राउमावि. जहाजपुर, जिला- भीलवाड़ा के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम - 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कि कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

नोट:- सेवानिवृत्ति दिनांक तक कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।




(काना राम)

आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-5/स्वै.सेवानिवृत्ति/2012/540
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

दिनांक:- 28/03/2022

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग.....
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
5. संबंधित प्रधानाचार्य.....।
6. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/ओएसी/एसीआर प्रभाग को प्रेषित कर लेख है कि वहिदुल हक, व्या. उर्दू, डीपीसी वर्ष- 2013-14 में पदोन्नत द्वितीय श्रेणी (वरि. क्रमांक 2083, वरि. अवधि 1995-96) की वरिष्ठता विलोपन की कारवाई की जानी सुनिश्चित करें।
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर।
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/ओएसी/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर